

14/8/25 पक्षद्वारा नये दस्तावेज/वादी प्रमाण पत्र
के प्राप्ति पर पत्र पेश व निवेदन किया कि वह पत्र
में वादी की ओर से श्री चौरण पण्डित/वाली Ad.
पेश कर रहे हैं वे दावा जयपुर चले गये हैं
इन साक्ष्य वादी को समय चाहिए/ सुना गया/
दस्तावेज दिया जाना है।

पत्रा 10 वास्तु साक्ष्य वादी दिनांक

19-8-2025 को पेश हो

जयपुर जिला न्यायाधीश सं 02
बंगलापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर (राज)